न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

पीठासीन अधिकारी –श्री कर्मवीर सिंह आर0 ए0 एस0
प्रकरण संख्या : 81 / 2024

1–रीना गोस्वामी पत्नी श्री प्रमोदपुर उम्र करीब 36 साल जाति गुसाई निवासी मठ चिलाचौंद बाडी जिला धौलपुर।

– – – वादिया

बनाम

1–बदना पुत्र श्री पीतम जाति गुसाई निवासी पुरा करीमपुर तह. सैंपउ
2–विष्णु पुत्र श्री मोहन जाति गुसाई निवासी नई तहसील के पास खेरागढ जिला आगरा उत्तरप्रदेश।

– – – असल प्रतिवादीगण

3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब सैंपऊ जिला धौलपुर।

– – – तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा वावत् स्वत्व घोषणा ,दुरूस्ती
इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – 1. श्री हजरत खां एडवोकेट वादी
2 श्री गिरीश व्यास एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 2

निर्णय

दिनांक: 13/8/2025

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि कृषि भूमि वर्तमान खाता संख्या 48 के आराजी खसरा नम्बर 1199 / 26 रकवा 0.0756 स्थित बाके ग्राम पुरा करीमपुर पटवार मण्डल करीमपुर तहसील सैपउ जिला धौलपुर राज0 जिसे वाद की आगामी चरणों में विवादित कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है । विवादित कृषि भूमि के अभिलिखित खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 बदना पुत्र श्री पीतम जाति गुसाई निवासी ग्राम पुरा करीमपुर तहसील सैंपऊ है जो विवादित कृषि भूमि के साथ अन्य कृषि भूमि खसरा नम्बर 1034 / 17, 1151 / 56, 1164 / 54, 1199 / 26 किता 5 कुल रकवा 0.4552 हे. के एकान्तिक खातेदार काश्तकार थे जिन्होने विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 26 / 1 रकवा 7 विस्वा में से हिस्सा 3 / 7 यानि बयनामा रकवा 3 विस्वा का विक्रय जरिये राजिस्टर्ड बयनामा विक्रय दिनांक 5.7.2019 से केता प्रतिवादी संख्या 2 विष्णु पुत्र मोहन जाति गुसाई निवासी नई तहसील के पास खेरागढ तहसील खेरागढ जिला आगरा उ0प्र0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

Scanned with CamScanner

के पक्ष में किया तथा मौके पर उसी दिवस से स्वयं के समान कब्जा दिया तभी से केता काबिज काश्त रहा वाबजूद राजस्व अभिलेख में उक्त विकय पत्र के अधीन नामान्तकरण स्वीकार नहीं हुआ। विवादित कृषि भूमि से प्रतिवादी संख्या 2 विष्णु पुत्र मोहन ने अपने स्वत्व एवं खातेदारी अधिकारों का विकय जरिये रजिस्टर्ड विकय लिेख दिनांक 18.3.2020 वहक केता वादिया रीना गोस्वामी पत्नी श्री प्रमोदपुरी जाति गुसाई निवामी मठ चिलाचौंद तहसील बाडी के पक्ष में खसरा नम्बर 1199/26 रकवा 0.0759 हे0 में से हिस्सा 1/2 यानि बयनामा रकवा 3 विस्वा वाके ग्राम पुरा करीमपुर तहसील सैंपउ जिला धौलपुर राज0 का बयनामा कर दिया तथा मौके पर स्वयं के समान आधिपत्य वादिया केता को सौंपा उसी दिन से केता वादिया कयशुदा विवादित कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त निरन्तर निर्वाध रूप से उपयोग उपभोग करती चली आ रही है एवं वर्तमान में भी काविज काश्त है। विवादित कृषि भूमि के एकान्तिक खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 बदना पुत्र पीतम द्वारा विकय दिनांक 5.7.2019 वहक प्रतिवादी संख्या 2 विष्णु पुत्र मोहन जाति गुसाई निवासी नई तहसील खेरागढ के पक्ष में किया गया और विष्णु पुत्र मोहन जाति गुसाई निवासी नई तहसील खेरागढ ने विकय दिनांक 18.3.2020 बहक वादिया रीना गोस्वामी पत्नी श्री प्रमोदपुरी जाति गुसाई निवासी मठ चिलाचौंद तहसील बाडी जिला धौलपुर राज0 के पक्ष में किया गया जिनके सम्बन्ध में राजस्व अभिलेख में नामान्तकरण स्वीकार किये जाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो उन्होने नामान्तकरण हेतु वादिया को आश्वस्त कर दिया लेकिन अभिलेख में नामान्तकरण स्वीकार नहीं किया पुनः बार–बार निवेदन करने पर नामान्तकरण किये जाने से मना कर दिया तथा सक्षम न्यायालय से कार्यवाही करने का निर्देश दिया। उक्त बयनामा के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का से काफी निवेदन किया गया लेकिन उन्होने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के निर्देश दिये जिसके कारण वादकरण उत्पन्न हुआ है। अपने वादपत्र के अन्त में वाद वादिया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 डिकी किया जाकर वादिया को विवादित कृषि भूमि खाता संख्या 48 के आराजी खसरा नम्बर 1199/26 रकवा 0.0759 हे. में से हिस्सा 1/2 वाके ग्राम पुरा करीमपुर तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर में बयनामा के आधार पर खातेदार काश्तकार घाषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में वादिया के नाम की प्रविष्टि करायी जाने तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा के लिए प्रतिबन्धित किये जाने कि विवादित कृषि भूमि में वादिया को जबरन बलपूर्वक बेदखल नहीं करें ना ही किसी प्रकार की दखलन्दाजी करें का निवेदन किया है।

उपरोक्त आशय का दावा वादिया द्वारा पेश करने के बाद प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 की ओर से जबाव दावा बतौर इकबाल दावा पेश कर दावा वादिया मुताबिक वादपत्र अन्तिम रूप से डिकी किए जाने में आपत्ति प्रकट कर दावा वादिया मुताबिक वादपत्र अन्तिम रूप से डिकी किए जाने बावत निवेदन किया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

Scanned with CamScanner

हमने बहस उभयपक्ष सुनी एवं पत्रावली तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात नकल बयनामा दिनांक 5.7.19 विकेता बदना एवं केता विष्णु पुत्र मोहन तथा रजिस्टर्ड बयनामा दिनांकित 18.3.2020 का अवलोकन किया जिसके अनुसार विष्णु पुत्र मोहन के द्वारा आराजी ख0न0 1199/26 रकवा 0.0759 हे. में से हिस्सा 1/2 यानी रकवा 3 विस्वा अपने स्वत्व एवं खातेदारी अधिकार केता वादिया रीना गोस्वामी पत्नी श्री प्रमोदपुरी जाति गुंसाई के पक्ष में कर दिए तथा स्वंय के समान आधिपत्य करा दिया तब से वादिया निर्वाध रूप से उपयोग उपभोग एवं काबिज काश्त है। तथा बहस के दौरान वकील प्रतिवादी द्वारा वकील वादिया के तथ्यों की ताहीद कर दावा वादिया मुताबिक वादपत्र अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने बावत निवेदन किया हैं।

अतः बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर हम दावा वादिया स्वीकार कर अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि आराजी खसरा नम्बर 1199/26 रकवा 0.0759 हे. में से हिस्सा 1/2 भाग वाके ग्राम पुरा करीमपुर तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर में रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व अभिलेख में उक्तानुसार दुरूस्ती की जाकर वादिया के नाम की प्रविष्टि की जावे। तथा प्रतिवादीगण 1 लगा0 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा के लिए प्रतिबन्धित किया जाता है कि विवादित कृषि भूमि में वादिया को जबरन बलपूर्वक बेदखल नहीं करें ना ही किसी प्रकार की दखलन्दाजी करें ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.8.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

Scanned with CamScanner